पत्र संख्या-बजट-38-अनाच्छादित-2-मु0व्या0दु0बी0यो0(2025-26)//

875 // राज्य कर
कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश,
(बजट अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक :: 31 मार्च, 2026

//आदेश//

मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत शासन के पत्र संख्या-226/11-4-2025/1807914 दिनांक 25-04-2025 द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में सूची में अंकित प्रकरणों का निस्तारण कराये जाने हेतु प्रकरण जोन स्तर से मुख्यालय प्रेषित किये गये है। प्रकरणों का निस्तारण कराये जाने हेतु आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदन प्रदान किये जाने के पश्चात् सम्बन्धित दावेदारों को भुगतान किये जाने हेतु अनुमति प्रदान की गयी है।

प्रश्नगत व्यय वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-89 के **लेखाशीर्षक-2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर-800-अन्य व्यय-07-उ0प्र0पंजीकृत व्यापारियों के लिये जोखिम व्यक्तिगत दुर्घटना योजना की मानक मद-42 अन्य व्यय** के नामें डाला जायेगा।

क्र० सं०	जोन □ा नाम	मृत□ / व्यापारी □ा नाम	फर्म □ा नाम	मृत्यु □ा दिनां□	आनलाइन माध्यम से दावा दायर □रने □ा दिनां□	दावेदार □ा नाम	देय धनराशि
2	अलीगढ़	स्व0 श्री जितेन्द्र सिंह	सर्वश्री एग्री जंक्शन केन्द्र (वन स्टाप शाप) मथुरा	27.10.2025	07-01-2026	श्रीमती अंजना, पत्नी	10.00 लाख

(अशोक कुमार सिंह)
अपर आयुक्त (लेखा) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

<u>पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त:-</u>

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-</u>

1. अपर आयुक्त, ग्रेड–1, राज्य कर, अलीगढ़, जोन–अलीगढ़ को सूचनार्थ।
2. संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) राज्य कर, मथुरा, संम्भाग–मथुरा को सूचनार्थ।
3. मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
4. संयुक्त आयुक्त(आई0टी0) राज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
5. आहरण एवं वितरण अधिकारी, मुख्यालय को सम्बन्धित प्रकरणों में प्राप्त बैक डिलेट की प्रति के साथ भुगतान हेतु।
6. लेखाकार, राज्य कर, मुख्यालय।
7. बजट आवंटन पटल, राज्य कर, मुख्यालय को बजट आवंटन हेतु।

अपर आयुक्त (लेखा) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।